न्यायालय बईजलारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— अशोक कुमार (आरएएस)

वाद संख्या :— 252 / 2020 निर्णय दिनांक :— 20.07.2022

उनवान

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामफूल जांगिड निवासी— छान्देल कलां, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. काना पुत्र शिवराज
2. जगदीश पुत्र शिवराम
3. महादेव पुत्र शिवराम
4. श्योचन्दा पुत्र शिवराम
5. गोपाल पुत्र रामनाथ
6. रामजीलाल पुत्र रामनाथ (मृतक)
   6/1 सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल
   6/2 मदन पुत्र रामजीलाल
   6/3 विमला पुत्री रामजीलाल
   6/4 नन्छी देवी पत्नि रामजीलाल
   समस्त जाति जाट, निवासीयान— ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक कोटखावदा ... जयपुर।

——प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(जयपुर)

ffice\CRT\RAJENDRA VS KANA.docx

Scanned with CamScanner

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टेनेन्सी एक्ट

वादीगण की ओर से वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि तहसील कोटखावदा के पटवार क्षेत्र बडोदिया ग्राम लक्ष्मीपुरा में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी जमीन है। जिसके खाता संख्या 59 में खसरा नंबर 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 502, कुल किता 19 कुल रकबा 3.72 है0 स्थित हैं जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि को विवादग्रस्त से सबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी का खाता अभी संयुक्त खाता है पक्षकारों का अलग अलग हिस्सा व लगान कायम नही हुआ है। तथा पक्षकारो ने अपनी अपनी मर्जी से यहॉ कर रखे है। जिसमें वादी का हिस्सा पृथक से खसरा नंबर 495 संपूर्ण पर व खसरा नंबर 496 के 0.04 है0 पर एक तरफ है जिसे वादी ने अपनी पूरी मेहनत व लगन से उपजाऊ बनाया है। वादी एक सीधा साधा भौला भाला किसान है जबकि प्रतिवादीगण काफी तेज है जो भूमाफियों के संपर्क मे है तथा उक्त भूमि जिस पर वादी काबिज है उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है तथा कब्जे की आड में वादी को परेशान करना चाहते है लठ के दम पर आये दिन जमीन उल्टी सीधी करने की कुचेष्ठा रखते है तथा लठ के दम पर वादी को उसको हिस्से के उपयोग उपभोग से वंचित करने पर आतूर रहते है। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा करवाली तकासमे के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किसी कॉलोनाईजर को विक्रय कर देना पर प्रतिवादीगण इससे सहमत नही हुऐ और वादी को धमकी दी कि हम तो हमारे हिस्से को बेचान करेगे तथा तुम्हे तुम्हारी खेती बाडी से वंचित करेगे। जिसके लिऐ वादी के लिऐ आवश्यक हो गया कि वे अपने हिस्से का तकासमा दावा करके करवाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। प्रतिवादीगण दिनांक 01.09.2020 को अजनबी लठेतो के साथ उक्त आराजी पर आये और वादी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहा तथा वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की, वादी के विरोध करने पर लडाई झगडे पर आमादा हो गये, हल्ला सुनकर आस पास के लोग आये तब तो प्रतिवादीगण वहां से चले गये लेकिन जाते जाते वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने व उसके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने की धमकी देकर चले गये। जिसके लिये वादी को आवश्यक हुआ कि वह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे तथा अपने हिस्से का तकासमा करवाये यदि उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो व अपने नापाक इरादे मे कामयाब हो जायेगे। वाद कारण दिनांक 01.09.2020 को उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नंबर 1 मे से वादी के हिस्से का विधिवत तकासमा किया जाकर वादी का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वे वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न तो स्वयं करें और ना ही किसी अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि द्वारा [illegible] करवाये। ना ही किसी प्रकार का उक्त वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य करे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(जयपुर)

ffice\CRT\RAJENDRA VS KANA.docx

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 7 वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे व प्रतिवादी संख्या 08 वादग्रस्त आराजी के किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से दिनांक 25.02.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार कोटखावदा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दोनो पक्षों की मौजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाया जाकर भिजवाये जाने हेतु पत्र क्रमांक/राजस्व/21/532 दिनांक 02.03.2021 को लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र क्रमांक /भू.अ/21/132 दिनांक 12.10.21 को कुरेजात रिपोर्ट भिजवायी गयी जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को कुरेजात का अवलोकन कराया गया तो प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश जो इस प्रकार है। तहसीलदार को मान्य न्यायलय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था। किन्तु तहसीलदार जी मौके पर नही गए वह कार्यालय में बैठ कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर दी गई जब कि न्यायालय श्रीमान द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि दोनो पक्षों की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जाऐ, जिसकी पालना तहसीलदार कोटखावदा द्वारा नही की गई। तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोई नोटिस नही दिया गया, नही मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई सूचना दी गई। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा वादी राजेन्[illegible] मुख्य सडक चाकसू कोटखावदा के लगते भूमि दी [illegible] दी गई है। वादी राजेन्द्र अजनबी केता है जिसको रोड की [illegible] नही दी जा सकती और बाकी कास्तकारों को पीछे की भूमि दी गई है। जिस पर आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

धिकारी
यपुर)

Scanned with CamScanner

जाने का रास्ता नही है, जो राजस्व मण्डल के तकासमा के नियमों के विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्त होने लायक है। वादी अकेले का तकासमा किया गया है जो कानून के खिलाफ है। जो कि तकासमा समस्त खातेदारों की मोजदूगी में होना आवश्यक है। वादी को जो भूमि दी गई है वह कीमत ज्यादा है, और प्रतिवादीगण को पीछे की जो भूमि समस्त खातेदारों को नोशनल शेयर के अनुसार भूमि रोड के लगते दी जाना कानुनन आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश कर निवेदन है कि निरस्त फरमाकर नए सिरे से समस्त खातेदारों की उपस्थिति में की जावें।

वादी वकील ने जवाब आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है प्रार्थना पत्र का मदं नंबर 1 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है बल्कि तहसीलदार जी मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार की है कि मौके पर उपस्थित रहकर ही कुर्रेजात तैयार करवायी गयी है। वादी के हिस्से की भूमि की कुर्रेजात सही वादी काबिज है जो मूल खातेदार के हिस्से मे आयी थी वही ही वादी के हिस्से में आयी है। प्रार्थना पत्र के मद नंबर 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है वादी की जमीन में गडडा है जिसकी कीमत कम है। अतः जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रकरण में अंतिम डिकी पारित किये ने की कृपा करें। कुर्रेजात रिपोर्ट सहमति से बनाये गये है जो सही है, उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किया जाना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वकील वादी की बहस पर गौर किया व आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुरूप बनाये गये हैं। जो राजस्व मण्डल के 18 से 21 के अनुरूप पाये गये प्रतिवादी वकील के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर गई आपत्ति नियमों के विपरित जाकर की गई है। जो गलत है। कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर जाकर बनाई गई है। उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गये, जिससे साफ जाहिर होता है कि वकील प्रतिवादी द्वारा वादे को देरी ना करने की नियत से आपत्ति दर्ज करवाई गई है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना व जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया जाने पर उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुरूप पाये जाने से प्रतिवादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर की गई आपत्ति का निराधार होने से खारिज किया जाना योग्य है, व मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक आपत्ति कुर्रेजात डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा कुर्रेजात निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner